# जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ लि0, जयपुर

**यू. ओ. नोट**

**विषय :– बीएमसी के लिए आवेदन हेतु ।**

संघ के पूर्व पत्रांक : 35208–21 दिनांक 09.03.2024 द्वारा समस्त पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों पर बीएमसी लगवाये जाने हेतु पूर्व में आवेदन करने की तिथि 25.03.2024 तक निर्धारित की गई थी, परन्तु होली के त्यौहार होने के कारण आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2024 तक बढाई गई है।

अतः दुग्ध संघ की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु संशोधित परिपत्र संलग्न कर भिजवाया जा रहा है कृपया अपलोड करवाने का श्रम करावें।

प्रभारी (एफओपी)

क्रमाक : एफ(1) / जजिदुउससंलि / एफओपी / 23–24 / 37277 दिनांक : 26/03/2024

**प्रभारी (आईटी / कम्प्युटर) दुग्ध संघ, जयपुर।**

# जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर

क्रमांक :–एफ (1)/जजिदुसंसलि0/एफओपी/2023–24/ 37178-90 दिनांक : 26/03/2024

परिपत्र

**अध्यक्ष/सचिव,**

**.......................................दुग्ध उ0(म0)स0स0लि.**

**विषय :– बीएमसी के लिए आवेदन हेतु ।**

समस्त पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सचिवों को सूचित किया जाता है कि समिति पर बीएमसी लगवाये जाने हेतु पूर्व में आवेदन करने की तिथि 25.03.2024 तक निर्धारित की गई थी, परन्तु होली के त्यौहार होने के कारण आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2024 तक बढाई जाती है।

अतः समिति सचिव जिन्होने अभी तक बीएमसी लिए जाने हेतु आवेदन नहीं किया है वे सम्बन्धित उपकेन्द्र पर दिनांक 31.03.2024 तक आवेदन कर सकते हैं। बीएमसी के लिए समिति द्वारा निम्न मापदण्डो को पूर्ण किया जाना आवश्यक है । मापदण्ड निम्नानुसार है :–

| पात्रता | आरसीडीएफ बीएमसी आवंटन नीति के मापदण्ड |
|---|---|
| बीएमसी क्षमता का 50 प्रतिशत दूध होना आवश्यक। (1 मार्च, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक औसत) | 1 केएल के लिए – 500 लीटर<br>2 केएल के लिए – 1000 लीटर<br>5 केएल के लिए – 2500 लीटर |
| दो बी.एम.सी. के मध्य दूरी 5 किलोमीटर होनी चाहिए | 05 किलोमीटर |
| समिति के पास बी.एम.सी. क्रय हेतु फण्ड की उपलब्धता | बचत खाते में न्यूनतम रू 5.00 लाख होना आवयश्क। |
| समिति भवन | जिन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का स्वंय का भवन हो उन्हें बीएमसी आंवटन में प्राथमिकता दी जावेगी। या न्यूनतम 5 साल का किरायानामा लीज एग्रीमेंट होना आवश्यक। |

जिन दुग्ध समितियों द्वारा 1 जनवरी 2024 के पश्चात बीएमसी हेतु आवेदन दिया जा चुका है, उन्हे पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।

प्राप्त आवेदनों का निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर निस्तारण/आवंटन आदर्श आचार सहिंता के समापन के पश्चात किया जावेगा।

**प्रभारी (एफओपी)**

**प्रतिलिपि :–**

1. निजी सहायक, अध्यक्ष महोदय, दुग्ध संघ, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रबन्ध संचालक महोदय, दुग्ध संघ, जयपुर।
3. प्रभारी जोन – बिन्दायका/बस्सी/चाकसू/दौसा/कालाडेरा/मा.माचैडी/कोटपूतली महवा/दूदू को भेजकर लेख है कि उपर्युक्तानुसार दुग्ध समितियों से आवेदन प्राप्त कर, दुग्ध संघ जयपुर को एक्सल शीट एवं हार्डकॉपी में दिनांक 01.04.2024 तक भिजवाना सुनिश्चित करावें।
4. कार्यालय प्रति/मास्टर फाईल।

**प्रभारी (एफओपी)**